न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

जी0आर0नं0ः-439/2020

ओबरा थाना कांड संख्या ः-127/2020

15.10.2020 आवेदक मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR26J0261 का स्वामी बिनोद कुमार की ओर से दिनांक-02.07.2020 को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अ0 प0 को दी गई है ।

उपरोक्त आवेदन दिनांक-02.07.2020 के आलोक में आवेदक बिनोद कुमार के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उक्त जप्त मोटरसाईकिल निबंधन सं0-BR26J0261 दाउदनगर थाना द्वारा जप्त कर लिया गया है । उक्त वाहन का स्वामी उक्त आवेदक है । अतः आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय । वाहन की मुक्ति हेतु न्यायालय का आदेश, आवेदक अक्षरशः पालन करेगा ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त मोटरसाईकिल निबंधन सं0-BR26J0261 दाउदनगर थाना में जप्त है । उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है । उक्त वाहन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित थाना द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन दर्शित किया गया है कि ''उक्त वाहन को मुक्त करने में कोई आपत्ति नही है तथा उक्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही है ।'' उक्त वाहन का स्कीन प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक-800/परि0 दिनांक-23.09.2020 के तहत समर्पित किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का स्वामी बिनोद कुमार है। उक्त वाहन का जिला परिवहन पदाधिकारी औरंगाबाद के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन का निबंधन संख्या- BR26J0261, इंजन संख्या-HA10EVFHG02111, चेसिस संख्या-MBLHA10BSFHG01746 है । आवेदक की ओर से उक्त वाहन का स्वामित्व प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज की मूल प्रति दाखिल किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निबंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या, स्कीन प्रतिवेदन के अनुसार है । उक्त मोटरसाईकिल का दुरूस्ती की वैधता दिनांक-06.09.2030 तक, कर की वैधता दिनांक-06.09.2030 तक एवं बीमा की वैधता दिनांकः-24.06.2021 की मध्य रात्रि तक है । आवेदक के अतिरिक्त अन्य कोई दावेदार उक्त वाहन के सम्बन्ध में अभी तक नही आया है । उक्त वाहन की मूल दस्तावेज मिलान करने के उपरांत, मूल दस्तावेज आवेदक को वापस कर दिया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदक बिनोद कुमार के पक्ष में उक्त जप्त मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR26J0261, इंजन संख्या-HA10EVFHG02111, चेसिस संख्या-MBLHA10BSFHG01746 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ। ऐसी स्थिति में आवेदक बिनोद कुमार के पक्ष में उक्त मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR26J0261 को मो0-60,000X1 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का ऑनर बुक, बीमा की प्रति, उक्त वाहन का चालक का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति की सत्यापित प्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करें । आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि वाहन की मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप-स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा एवं वाहन के सम्बन्ध में जो दस्तावेज दाखिल किया गया है वह सत्य है ।

थाना प्रभारी दाउदनगर को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त वाहन को पंचनामा के तहत मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।